दलहन मिशन बढ़ाएगा किसानों की आय

केंद्र सरकार जल्द शुरू करेगी दहलन आत्मनिर्भरता मिशन

2030-31 तक उत्पादन 350 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को लागू करने में किसी किस्म की कोताही न बरती जाये. चौहान ने ये निर्देश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में दी.

उन्होंने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इस मिशन से जुड़े राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि राज्यों के सहयोग से जिलेवार क्लस्टर बनाकर दालों के मिशन पर काम किया जाएगा. केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिये. इस योजना के कामकाज में तेजी के लिए संबंधित 11 मंत्रियों के साथ जल्द ही बैठक की जायेगी.

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को देश के 100 आकांक्षी जिलों में कृषि के विकास के लिए 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को जोड़ा गया है. गौरतलब है कि गत 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया था. यह योजना छह साल चलेगी और इस पर 24,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. दलहन मिशन भी छह साल के लिए है और इस पर 11,440 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस मिशन से 2030-31 तक दलहन का रकबा 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करने, पैदावार को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन तक बढ़ाने और एक हेक्टेयर की पैदावार 1130 किलोग्राम तक बढ़ाने की उम्मीद है.

स्वर्ण भंडार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार

मुंबई, 17 अक्टूबर. देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट दर्ज की गयी है जबकि इसमें शामिल स्वर्ण भंडार लगातार सातवें सप्ताह बढ़ता हुआ पहली बार100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है.

रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि 10 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.176 अरब डॉलर घटकर 697.784 अरब डॉलर रह गया. विदेशी मुद्रा भंडार की सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 5.605 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट के साथ 572.103 अरब डॉलर रह गयी. इसमें डॉलर के साथ यूरो, पाउंड और येन का भंडार भी शामिल है जिनके डॉलर के सापेक्ष विनिमय दर के आधार पर अमेरिकी मुद्रा में उनका मूल्य निर्धारण किया जाता है.

विकास का इंजन है पूर्वोत्तर क्षेत्र : सिंधिया

चार लाख 48 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव हासिल हुए

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर. केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया है जिसकी वजह से यहां की औसत विकास दर पिछले 11 वर्षों में नौ से 11 प्रतिशत के बीच रही, जो देश की औसत विकास दर से काफी अधिक है.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को संवाददाताओं को मंत्रालय की एक वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि देश की विकास दर जहां औसतन 7.5 प्रतिशत है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास दर पिछले 11 वर्षों में नौ से 11 फीसदी रही है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि, व्यापार, वायु, सड़क और रेल संपर्क के क्षेत्र में इतना काम हुआ है कि उस क्षेत्र को आज देश के विकास का इंजन कहा जा सकता है. उन्होंने कहा कि वहां की क्षमता और विविधता सबसे अलौकिक है. सरकार की कोशिश है कि वहां इसे और निखार कर विश्व पटल पर प्रस्तुत किया जाये. सिंधिया कहा कि वहां निवेश के लिए पुरजोर प्रयास किये जा रहे हैं और उद्योगपतियों से निरंतर संपर्क रखा जा रहा है. इसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं. वहां निवेश और विकास के लिए कई पहल की गयी हैं.

उन्होंने कहा कि इस वर्ष मई में आयोजित राइजिंग नार्थ ईस्ट सम्मेलन के दौरान चार लाख 48 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव हासिल हुए. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में पाम आयल, आगरवुड सेक्टर और बांस उद्योग को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं. प्रत्येक राज्य से एक उत्पाद को चयनित किया गया है जिसके उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को प्रोत्साहित करके उसे राज्य में प्रमुख रोजगार प्रदाता बनाया जायेगा.

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में में हवाई अड्डों की संख्या नौ से बढ़कर 17 हो गयी है. पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 10 हज़ार किलोमीटर से बढ़कर 16 हज़ार किलोमीटर हो गयी है. सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की अपार संभावनायें हैं. वहां की 70 प्रतिशत आबादी 28 वर्ष से कम उम्र की है और साक्षरता दर औसतन 92 प्रतिशत है. कुछ राज्यों में तो साक्षरता दर 100 फीसदी है. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अष्टलक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर से तीन हजार 200 विद्यार्थी पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे.

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में लोन बढ़ाएं

वित्त मंत्री ने केएजीबी के लोन, एनपीए और योजनाओं की समीक्षा की

ग्रामीण बैंकों को कृषि और एमएसएमई सेक्टर पर फोकस

जीएसटी दरों में कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर

वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी दरों को कम करने से खपत में वृद्धि हुई है, जिससे अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर खुले हैं . उन्होंने ग्रामीण बैंकों से आग्रह किया कि वे इन क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं .केंद्रीय मंत्री ने केएजीबी और प्रायोजक बैंक को पीएम-विश्वकर्मा और पीएमएफएमई जैसी सरकारी योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों की जाँच प्रक्रिया में सुधार करने के लिए पंचायत स्तर पर संबंधित समितियों के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी .

बेल्लारी, 17 अक्टूबर. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण बैंकों से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में बढ़ती ऋण की मांग को पूरा करने के लिए अधिक लोन देने को कहा है.

गुरुवार को बेल्लारी में कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) के व्यावसायिक प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, वित्त मंत्री ने बैंक की लोन वृद्धि, एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति), वित्तीय समावेशन प्रदर्शन और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया.

एमएसएमई और कृषि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश- वित्त मंत्री सीतारमण ने सभी हितधारकों को क्षेत्र में कृषि गतिविधियों की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया.विशेष रूप से, केएजीबी और उसके प्रायोजक बैंक केनरा बैंक को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और उससे जुड़े क्षेत्रों को ऋण वितरण बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ मिलकर काम करने का

पर्यटन में बड़े निवेश की जरूरत

भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश का सही समय : गोयल

एयरलाइन क्षमता और होटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की ज़रूरत

नई दिल्ली , 17 अक्टूबर. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत के हॉस्पिटैलिटी (अतिथि सत्कार) सेक्टर में निवेश करने का यह सबसे अच्छा समय है, क्योंकि देश की बढ़ती आर्थिक गति के बीच यह उद्योग लगातार मजबूती से प्रदर्शन कर रहा है. उन्होंने उद्योग और सरकार से मिलकर हाई-स्पेंडिंग यानी ज़्यादा खर्च करने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने की एक केंद्रित रणनीति बनाने का आह्वान किया.

विमानन और प्रीमियम होटलों में निवेश की मांग- एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन और 105वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि भारत का यात्रा और पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.गोयल ने कहा कि दुनिया विमानों की कमी का सामना कर रही है. पोस्ट-कोविड, मैंने सोचा था कि लोग कम यात्रा करेंगे, लेकिन इसके विपरीत हो रहा है. उन्होंने कहा कि सीमित उड़ान क्षमता और अपर्याप्त सीटें वैश्विक स्तर पर हवाई किराए को प्रभावित कर रही हैं.मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत को ऐसे पर्यटक लाने चाहिए.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **भारत पिता रमेशचंद्र प्रजापिता** निवासी ग्राम रंगवासा राऊ जिला इंदौर, आयु 31 वर्ष ने शपथ पत्र क्रमांक 1 दिनांक 15/10/2025 के अनुसार अपना नाम **भरत** से **भरत प्रजापति** में बदल लिया है। अब सभी भविष्य के कार्यों के लिए **भरत प्रजापति** के नाम से जाना जाऊंगा।

भरत प्रजापति

आरबीआई-सरकार समन्वय से संभली महंगाई

रुपये की स्थिरता पर ज़ोर

विनिमय दरकी अस्थिरता के प्रबंधन पर, मल्होत्रा ने कहा कि जबकि उभरते बाजार की मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी अस्थिर रही हैं, भारत का दृष्टिकोण किसी विशिष्ट स्तर को लक्षित करने के बजाय रुपये की व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने पर रहा है .उन्होंने कहा कि उच्च टैरिफ और कुछ पूंजी बहिर्वाह के बावजूद, भारतीय रुपये और इक्विटी का प्रदर्शन समय के साथ मजबूत रहा है .

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर. आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बीच मजबूत समन्वय ने भारत को टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितता के चुनौतीपूर्ण समय में आर्थिक वृद्धि को समर्थन देते हुए महंगाई को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

आरबीआई गवर्नर ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों के दौरान आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन के साथ बातचीत के दौरान कहा कि, बढ़ते टैरिफ और कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता के बीच भारत उभरते बाजारों के लिए महंगाई का प्रबंधन कितना चुनौतीपूर्ण रहा है.

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति देवास, जिला- देवास (म.प्र.)

क्रमांक/मंडी/नि./25-26/1835 देवास, दिनांक: 15.10.2025

// निविदा आमंत्रण सूचना //

प्रमुख अभियंता म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (एकीकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारों से प्रतिशत दर आधार पर सिस्टम निविदाएं क्रमांक **2025_MPSAM_457660_1, 2025_MPSAM_457661_1, 2025_MPSAM_457662_1, 2025_MPSAM_457663_1, 2025_MPSAM_457664_1** के अंतर्गत ऑनलाईन निविदाएं **दिनांक 17.10.2025 समय 05.30 से दिनांक 07.11.2025 को सायं 5.30 बजे तक** आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल www.mptenders.gov.in/nicgep/app पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल http//www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट:- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर ही प्रदर्शित किया जाएगा।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति, देवास
जिला - देवास (म.प्र.)

भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, देवास
जिला- देवास (म.प्र.)

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र

संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार

(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)

प्लाट न. 15 ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्रदान करने की योजना वर्ष 2025-26

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, संस्कृति से संबंधित प्रदर्शनकारी, रूपंकर व साहित्यिक कलाओं तथा नए क्षेत्रों में शोध - उन्मुख परियोजनाओं के परिचालन हेतु कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए **ऑफलाइन** आवेदन - पत्र आमंत्रित करता है।

आवेदन - पत्र वर्ष 2025-26 के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं, जो दिनांक **18 अक्टूबर, 2025** से प्रभावी होंगे। इस वर्ष में दी जाने वाली कनिष्ठ अध्येतावृत्ति की संख्या क्रमश: 200 एवं वरिष्ठ अध्येतावृत्ति की संख्या भी 200 है। योजना का विवरण, आवेदकों हेतु निर्देश, योग्यता एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र का स्वरूप भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र की निम्न वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं -

www.indiaculture.gov.in

www.ccrtindia.gov.in

आवेदन - पत्र सिर्फ **ऑफ-लाइन** माध्यम द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे।

आवेदन पत्र पूरी तरह से भर कर डाक अथवा दस्ती आदि द्वारा उपर दिये गये सीसीआरटी, नई दिल्ली के पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **01 दिसम्बर, 2025** है।

cbc09127/12/0003/2526

20 साल में पहली बार अमेरिका हुआ टॉप-10 से बाहर

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है. बीते दो दशकों से शीर्ष 10 में बना रहा अमेरिकी पासपोर्ट पहली बार इस सूची से बाहर हो गया है. भारत की रैंकिंग में भी गिरावट दर्ज की गई है.

हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी पासपोर्ट रैंकिंग को दुनियाभर में यात्रा स्वतंत्रता का पैमाना माना जाता है. इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रैंकिंग गिरकर 12वें स्थान पर आ गई है, जहां वह अब मलेशिया के साथ खड़ा है. अमेरिका के नागरिक अब सिर्फ 180 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन-अराइवल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं इससे पहले, 2014 में अमेरिकी पासपोर्ट पहले स्थान पर था, लेकिन बदलते वैश्विक समीकरणों और देशों की आपसी वीजा नीतियों ने इसकी ताकत को सीमित कर दिया है. भारत के लिए यह रिपोर्ट और भी चिंताजनक है. पिछले साल 80वें स्थान पर रहा भारत अब 85वें नंबर पर आ गया है. इसका मतलब है कि भारतीय पासपोर्ट धारक सिर्फ 57 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं. वहीं चीन, जो 2015 में 94वें स्थान पर था, अब 64वें नंबर तक पहुँच गया है. चीनी नागरिक अब 37 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं. यह रिपोर्ट (इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन) के डाटा पर आधारित है, जिसमें यह देखा जाता है कि एक पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा के बिना या वीजा ऑन-अराइवल यात्रा कर सकता है.

1600 सीरीज पर सहमति, चरणबद्ध लागू होगी योजना

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा गुरुवार को यहां आयोजित नियामकों की संयुक्त समिति की 9वीं बैठक में 1600 नंबर सीरीज को चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर सहमति बनी.

नियामकों की संयुक्त समिति का उद्देश्य आम ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के उपाय खोजना है. इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अधिकारी भी शामिल हुए. समिति ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्रों के 1600 नंबर सीरीज योजना में स्थानांतरण के लिए एक चरणबद्ध समय-सीमा पर सहमति व्यक्त की.

NeML

NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LIMITED

Address: HALL NO. 5 & 6, 2ND FLOOR, DWARIKA PARISAR, ARVIND VIHAR, BAGHMUGHALIYA, BHOPAL - 462043 (MP).

Tel: 0755- 4030503

SALE OF PSS GRAM R-25 & TOOR K-24

NAFED MADHYA PRADESH are commencing the sale of PSS GRAM R-25 & TOOR K-24 procured under the Price Support Scheme (PSS) by Govt of India, through NCDEX e-Markets Ltd (NeML). Interested buyers may visit the website:www.neml.in for details of quantity, and location. Contact No - 9589015015, 9331742243

NeML

स्पाइसजेट की नई उड़ानें अब नजफ के लिए भी!

नयी दिल्ली, निजी विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट इराक के पवित्र नजफ शहर के लिए शनिवार से विशेष उड़ानें शुरू करेगी.

एयरलाइंस ने बताया कि वह मुंबई से 18 अक्टूबर से 29 मार्च तक हर नौ दिन पर नजफ के लिए एक उड़ान शुरू करने वाली है. इसी तरह अहमदाबाद से 19 अक्टूबर से 30 मार्च तक हर नौ दिन पर एक उड़ान का परिचालन करेगी.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- धार (म.प्र.)

फोन-07292-234702, Email- modgmdha@mp.gov.in

पत्र क्रमांक./2962/खनिज/2025-26 धार, दिनांक :13/10/2025

(म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18(1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करने के लिए)

प्रथम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि आवेदक **मेसर्स श्रीधरा बिल्डकॉन पता धामनोद, तह. धरमपुरी, जिला धार मप्र.** द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 30.09.2025** को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 18.11.2025 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन ई-खनिज पोर्टल **https://ekhanij.mp.gov.in** पर प्रस्तुत किये जाएंगे।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	पैकी रकबा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का का नाम	रिमार्क
धार	धरमपुरी	लोधीपुरा	109/1 97	4.000	शासकीय भूमि	पत्थर/गिट्टी मुरम एम-सेंड	
			कुल रकबा	4.000			

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सांय 5.30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाये जाते है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौंण खनिज नियमावली 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति मे उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व में प्रेषित अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मप्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि मे अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार मे नहीं लिया जाएगा।

जी -20264/25

जिला खनिज अधिकारी
खनिज शाखा
कार्यालय कलेक्टर जिला धार (म.प्र.)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013

सीआईएन संख्या: U67190MH2008PLC187552

कब्जे की सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकताओं से उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता को और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणी और आम जनता को, एतद्द्वारा, इस संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा, नीचे उल्लिखित तिथि से, ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित, नीचे उल्लिखित राशि के लिए प्रभारित किया जाएगा। ऋणी का ध्यान, सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता सं.	दायित्वकर्ता(यों) का नाम /कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों)	राशि और मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तारीख
TCHIN028400 0100291419 & TCHHL02840 00100288908	श्रीमती मंजुलता जाटव (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती सावित्री बाई जाटव (सह-उधारकर्ता के रूप में)	रु. 14,82,284/- और रु. 81,498/- और 05-08-2025	14-10-2025 (भौतिक)
सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण:- अचल संपत्ति का संपूर्ण क्षेत्र प्लॉट क्रमांक 117, "हाईवे स्काई सिटी" सर्वे क्रमांक 249/3, 251/1, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 251/2/1, 251/2/2, 251/2/3, पी.एच. क्रमांक पुराना 26/9 (नया 69) ग्राम गारी पिपलिया, तहसील सांवेर जिला-इंदौर म.प्र.- कुल क्षेत्रफल 90.61 वर्ग मीटर (957 वर्ग फीट) सीमाएं: पूर्व:- कॉलोनी रोड, पश्चिम:- कॉलोनी बाउंड्रीवॉल, उत्तर:- प्लॉट क्रमांक 116, दक्षिण: प्लॉट क्रमांक 118			
10431796	श्री रेमंड माइकल (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती निर्मला मोहता (सह-उधारकर्ता के रूप में)	रु. 10,03,160/- एवं 07-08-2025	13-10-2025 (प्रतीकात्मक)
सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण:- प्लॉट संख्या डी-22 की अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग, "शांति पैराडाइज" ग्राम हरसोला तहसील महू जिला इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट है। सीमाएं: पूर्व: कॉलोनी रोड, पश्चिम: प्लॉट संख्या डी/43, उत्तर: प्लॉट संख्या डी/21, दक्षिण: प्लॉट संख्या डी/23			

दिनांक:-18-10-2025,
स्थान:- इंदौर

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	142505040 & 72719271	संपत्ति के बदले ऋण	17.09.2025	7,02,076.49/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. अशोक राठौड़ 2. पुनम राठौड़

संपत्ति का पता: आवासीय मकान संख्या 69 का वह पूरा भाग, कुल क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट या 167.28 वर्ग मीटर, वार्ड संख्या 04, फोन नंबर 13 सर्वे संख्या 726, ग्राम: सेमलखेड़ी, ग्राम पंचायत: सेमलखेड़ी, तहसील: नलखेड़ी, जिला: आगर मालवा, मध्य प्रदेश-465447 पर स्थित है, और इसकी सीमा इस प्रकार है:- पूर्व: अमर सिंह का घर, पश्चिम: सीताराम का घर, उत्तर: सड़क, दक्षिण: खाली जयदीप सिंह का स्थान

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	10044661772	बीबीजी	11.10.2025	43,86,458.00/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. मेसर्स देवी मोबाइल्स 2. विनोद चौधरी 3. श्यामसुंदर चौधरी

संपत्ति का पता: संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिस पर शीट क्रमांक 07, प्लॉट क्रमांक 174 का भाग, कॉलोनी लेआउट प्लॉट क्रमांक 18 और 03, कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट अर्थात (139.40 वर्ग मीटर) अंकित है, खंडवा तरफ, कुनबी लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक 33, "रामा कॉलोनी" के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र, खंडवा, तहसील और जिला: खंडवा, मध्य प्रदेश-450001, और सीमा: पूर्व: कॉलोनी रोड, पश्चिम: कॉलोनी रोड, उत्तर: चौरे जी का घर, दक्षिण: प्लॉट क्रमांक 17

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	57280815	संपत्ति के बदले ऋण	17.09.2025	1,47,362.40/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. नरेन्द्र बैरागी 2. बुलबुल बैरागी 3. देवीलाल बैरागी

संपत्ति का पता: निर्मित मकान संख्या 107 के सभी टुकड़े, कुल क्षेत्रफल 1504 वर्ग फुट, सर्वे संख्या 232, पीएच संख्या 12, ग्राम: डिगोन, वार्ड संख्या 14, ग्राम पंचायत: धंधेड़ा, तहसील: नलखेड़ा, जिला: आगर, मध्य प्रदेश-465445 पर स्थित। पूर्व: दिलीप सिंह का मकान, पश्चिम: कमल सिंह का मकान, उत्तर: रोड, दक्षिण: दिलीप सिंह का मकान

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	99763496	संपत्ति के बदले ऋण	30.09.2025	5,68,237.31/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नाम: 1. मुकेश गुर्जर 2. शांतिलाल नंदूजी गुर्जर 3. कला बाई गिरजार

संपत्ति का पता: पंचायत रजिस्टर संख्या 61 वाला एक मकान का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 153 वर्ग मीटर, भूमि सर्वेक्षण संख्या 409 पर स्थित, गाँव: डाबड़ी, फोन नंबर 31, तहसील: रावटी, जिला: रतलाम, मध्य प्रदेश-457001, और सीमा: पूर्व: रोड, पश्चिम: मुकेश का घर, उत्तर: कैलाश का घर, दक्षिण: कैलाश सेठ का घर

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) . इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 18.10.2025
स्थान: मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)